रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 15 जुलाई, 2006/24 आषाढ़, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 जुलाई, 2006

संख्या एल0 एल0 आर0 डी0(6)–2/2006–लेज.— भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29–6–2006 को अनुमोदित दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2006 के अधिनियम

1159–राजपत्र/2006–15–7–2006—1,531. मूल्य : एक रुपया।

संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव।

2006 का अधिनियम संख्यांक 15

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2006

(भारत के राष्ट्रपति द्वारा तारीख 29 जून, 2006 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता की धारा 289 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोडी जाएगी, अर्थात् :—

"289– क. **लोक स्थान में बंदरों को खिलाना.**—जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित से अन्यथा लोक स्थान में खाद्य वस्तुएं फैंकेगा और तद्द्वारा बन्दरों को खाद्य पदार्थों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनता या जनसाधारण को क्षति या क्षोभ कारित होना सम्भाव्य हो या यानीय यातायात के निर्बाध आवागमन में प्रतिबाधा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।"।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन।

3. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक "**I. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध**" के अधीन, धारा 289 से सम्बन्धित प्रविष्टियों के

पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"289–क.	जो कोई राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित से अन्यथा लोक स्थानों में खाद्य वस्तुएं फैंकेगा और तद्द्वारा बंदरों को खाद्य पदार्थों को लेने के लिए ऐसे स्थान पर इकट्ठा होने के लिए प्रलोभित करेगा जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को खतरा कारित हो जाए या जिससे जनता या जनसाधारण को क्षति या क्षोभ कारित होना सम्भाव्य हो या यानीय यातायात के निर्बाध आवागमन में प्रतिबाधा कारित हो	एक मास के लिए कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 15 of 2006

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2006

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT OF INDIA ON 29TH JUNE, 2006)

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code (Act No. 45 of 1860) and the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No.2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Criminal Law (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2006. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. After section 289 of the Indian Penal Code, in its application to the State of Himachal Pradesh, the following section shall be added, namely:— Amendment of Central Act No.45 of 1860.

"**289-A.** *Feeding of Monkeys in public place.*—Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.".

3. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, 1973, under the heading "I. OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", after the entries Amendment of Central Act No. 2 of 1974.

relating to section 289, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"289-A.	Whoever throws eatables in public place, other than those notified by the State Government in the Official Gazette, and thereby entice monkeys to assemble at such place for taking eatables which result in causing danger to human life or to be likely to cause injury or annoyance to the public or to the people in general or to cause hindrance in smooth running of vehicular traffic	Imprisonment for one month or fine of Rs. 1000/- or both	-do-	-do-	-do-.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित